जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली ।

(वाहन कोषांग)

पत्रांक :- / परि0 दिनांक :-

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, बिहार, पटना ।

विषय :- **बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर वाहन का लॉगबुक जमा करने हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर निर्वाचन कार्य हेतु जिला वाहन कोषांग एवं सभी प्रखंडों द्वारा वाहन निर्वाचन कार्य में वाहन उपयोग किया गया है जिसका मुआवजा भुगतान किया जाना है । मुआवजा भुगतान हेतु लॉग बुक जमा करने हेतु तिथि निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह० —

अनुलग्नक :- सूचना पत्र की पाँच हार्ड एवं एक सॉफ्ट कॉपी संलग्न।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली।

ज्ञापांक:– 48 / वा0,को0, दिनांक:– 17 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसर्म्पक पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त विज्ञापन के प्रकाशन हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक पहल की जाय।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त विज्ञापन जिला के वेवसाईट पर अपलोड की जाय।

17/11

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली।

बिहार सरकार

समाहरणालय, वैशाली।

(वाहन कोषांग)

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2020

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन–2020 के अवसर पर निर्वाचन कार्य हेतु जिला वाहन कोषांग, वैशाली एवं सभी प्रखण्ड कार्यालय, जिला– वैशाली मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित/प्रयुक्त वाहनों का अंतिम रूप से मुआवजा भुगतान किया जाना है। अधिग्रहित/प्रयुक्त वाहनों के मालिक/चालक को सूचित किया जाता है कि वे निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त अपने वाहनों का लॉगबुक, बैंक पासबुकक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं मोबाईल नं0 (वाहन मालिक का) दिनांक–25-11-2020तक निश्चित रूप से जिला परिवहन कार्यालय (वाहन कोषांग), वैशाली/ संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि वाहनों का देय मुआवजा का शतप्रतिशत भुगतान किया जा सकें। निर्धारित तिथि तक लॉगबुक जमा नहीं करने की स्थिति में अधिग्रहित/प्रयुक्त वाहनों का मुआवजा भुगतान में विलम्ब की सारी जबाबदेही संबंधित वाहन के मालिकों/चालकों की होगी तथा मुआवजा/भुगतान का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं होगा।

17/11/20

जिला निर्वाचन प्रदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, वैशाली।